दुर्ग बना प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल जिला

दुर्ग। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अंतर्गत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश से आए जनप्रतिनिधियों, सफाई मित्रों, स्वच्छाग्राहियों एवं अधिकारियों को संबोधित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिला दुर्ग को 15 अगस्त, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया। ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल जिला घोषणा होने के सम्मान में जिला दुर्ग से सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग को स्वच्छ भारत दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन में नई दिल्ली आमंत्रित किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश से 11 अन्य प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें श्रीमती सुशीला भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, राजकुमार भट्ट, जिला पंचायत सदस्य, जिला कवर्धा, सुश्री सुरुचि सिंह, मुख्य कार्यपालन, जिला पंचायत राजनांदगांव, पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव, राजनांदगांव, श्रीमती धनेश्वरी साहू, सरपंच ग्रा.पं. टेमरी, जिला महासमुंद, श्रीमती राधिका पैंकरा, सरपंच, ग्रा.पं. मेंडरबहार, जिला जशपुर, श्रीमती मनप्यारी बाई, स्वच्छाग्राही, ग्राम पंचायत लोधमा, जिला जशपुर तथा राज्य की टीम से डॉ. रूपेश राठौर एवं सुश्री अभिलाषा आनंद, राज्य सलाहकार द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

इस बार नवरात्र में घी के बजाय अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा

नवरात्र उत्सव में महामाया मंदिर सहित छत्तीसगढ़ के कई मंदिरों में घी से नहीं जली मां की ज्योत

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

नकली घी को लेकर देशभर में चल रहे विवाद का असर अब छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी देखा जा रहा है। आज से शुरू हो रहे नवरात्र उत्सव के मद्देनजर कई मंदिरों ने घी के दिए जलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य न केवल मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखना है, बल्कि श्रद्धालुओं को भी शुद्धता के प्रति जागरूक करना है।

नवरात्र के दौरान देवी पूजा में घी का विशेष महत्व होता है, लेकिन

हाल ही में नकली घी को लेकर देशभर में फैले विवाद के चलते छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों ने इस साल घी के दिए नहीं जलाने का फैसला लिया है। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर सहित कई मंदिरों में घी के ज्योत कलश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस नवरात्र में किसी भी प्रकार के घी का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु किसी तरह की शंका या असुविधा से बचे रहें। महामाया मंदिर के अलावा, रायपुर के दंतेश्वरी मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों ने भी घी के ज्योत जलाने से इंकार कर दिया है। डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध बम्लेश्वरी माता मंदिर में वर्षों से शुद्धता का पालन करते हुए घी के ज्योति कलश जलाने की परंपरा नहीं है। यहां पूजा में शुद्धता और पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, और इसी कारण मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस बार नवरात्र में घी के बजाय अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के छोटे-बड़े मंदिरों के साथ ही प्रदेश के कई सिद्ध और प्राचीन मंदिरों ने भी नकली घी के विवाद को गंभीरता से लिया है और इस नवरात्र के दौरान विशेष एहतियात बरतने का निर्णय लिया है। घी के दिए न जलाने वाले इन मंदिरों ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे मंदिरों के नियमों का पालन करें और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पूजा-अर्चना करें।

प्रसाद में भी बदलाव

नकली घी के कारण उपजी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, कई मंदिरों ने प्रसाद में भी घी का उपयोग बंद कर दिया है। इसके स्थान पर ऐसे प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिनमें घी की आवश्यकता नहीं है। जैसे पंचमेवा, मिश्री, नारियल, और फल जैसे शुद्ध और सरल सामग्री का उपयोग किया जाएगा। रायपुर के अलावा, छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में भी इसी तरह की सख्ती बरती जा रही है, ताकि नवरात्र का पर्व शुद्धता और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप मनाया जा सके।

टूटते परिवारों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी पुलिस

रायपुर। रायपुर पुलिस का परिवार परामर्श केंद्र अब शहर के टूटते परिवारों को फिर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। काउंसलिंग के बाद परिवारों में खुशियां लौट रही हैं, और इस प्रक्रिया से प्रभावित बच्चों को भी राहत मिल रही है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े स्वैच्छिक काउंसलरों का इस दिशा में योगदान सराहनीय है। पारिवारिक और घरेलू मामलों से जुड़े सैकड़ों आवेदन प्रतिदिन महिला थाना रायपुर के परिवार परामर्श केंद्र में प्राप्त होते हैं। इन मामलों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एसएसपी रायपुर डॉ. संतोष सिंह के मार्गदर्शन में और एएसपी ममता देवांगन और डीएसपी ललिता मेहर के निर्देशन में प्रतिदिन विधिवत काउंसलिंग की जाती है।

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में एससीईआरटी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य करने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिल रही है। पाठ्य पुस्तक निगम से करोड़ों के घोटाले की खबरें प्रतिवर्ष आती है। पुस्तकों की छपाई, वितरण और स्कूलों में पढ़ाए जाने तक सब गोलमाल हो रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या का ठोस उपाय नहीं कर पा रही है।छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि उनके द्वारा विगत दस वर्षों से यह मांग की जा रही है कि प्रदेश के सभी स्कूलों के कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक सिर्फ एससीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ही अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने आज पर्यन्त ऐसा कोई सख्त आदेश जारी नहीं किया, इसलिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों को लेते तो है, मगर प्राइवेट प्रकाशक की किताबों से अध्यापन कराया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में बिक जाती है।

मुख्यमंत्री ने मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को किया रवाना

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

मुख्यमंत्री साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार को मां बम्लेश्वरी के दर्शन लाभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को मुख्यमंत्री निवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सभी श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को

नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मां बम्लेश्वरी के जयकारे और भजन-कीर्तन के साथ यह यात्रा शुरू हुई। गौरतलब है कि मां काली अन्नदान भंडारा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को पिछले 09 वर्षों से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बम्लेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस वर्ष भी आगामी 5 दिनों तक रोजाना चार बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर संजय श्रीवास्तव और मां काली अन्नदान भंडारा समिति के अध्यक्ष दीपक भारद्वाज मौजूद रहे।

ICICI Home Finance | कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत

शाखा कार्यालय: क्रेसेन्ट प्लाजा, यूनिट-एच4, द्वितीय मंजिल, स्वरूप टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) 2002 नियमों के नियम 8(8) आर/डब्ल्यू. नियम 9(1) के साथ पठित,

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लिखित गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए कई नीलामी आयोजित की, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामी विफल रहीं। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को रुपये 10,00,000/- की राशि मे खरीदने की पेशकश के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, यहां दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार निजी संधि के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा।

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय	एक दिन पूर्व नीलामी दिनांक	सरफेसी स्टेज
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	रमेश मिश्रा (उधारकर्ता) आशा मिश्रा (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या NHDRG00001245669 और NHDRG00001245670	मकान नं. ई.डब्लू.एस.एच 04, वार्ड नं. 46, भूतल पद्मनाभपुर दुर्ग मौजा - सी जी एच बी, जिला दुर्ग (सी.जी.), मध्य प्रदेश दुर्ग- 491001	रु. 32,09,614/- सितम्बर 20, 2024	रु. 10,00,000/- / रु. 1,00,000/-	अक्टूबर 11, 2024 11:00 AM 03:00 PM	अक्टूबर 22, 2024 02:00 PM 03:00 PM	अक्टूबर 21, 2024 04:00 PM से पहले	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी मैटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://assets.matexauctions.com) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाता(ओं) को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय के पते पर 21 अक्टूबर 2024 को शाम 04:00 बजे से पहले या उससे पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम व शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय के पते पर 21 अक्टूबर 2024 को शाम 05:00 बजे से पहले जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में दुर्ग में देय होना चाहिए।

आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की अपनी बोलियां प्रस्तुत करें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा उपर्युक्त इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बंधक संपत्ति को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ नियम 8(8) के अनुसार उक्त इच्छुक खरीदार को बेच दिया जाएगा।

निरीक्षण, बिक्री या बोलियों के प्रस्तुतीकरण के नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी अन्य कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com पर जाएं।

दिनांक : अक्टूबर 04, 2024
स्थान : दुर्ग

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number U65922MH1999PLC120106

बाघों को बचाने छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों ने बनाया समूह, अवैध शिकार को रोकने की बनाई प्लानिंग

संचार स्थापित करने के लिए नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा

पीसं, रायपुर। बाघों को अवैध शिकार से बचाने राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी कर ली है। अब बाघों पर रोजाना कैमरे से निगरानी रखी जाएगी तथा टाइगर रिजर्व में रोजाना गश्त भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलकर अवैध शिकार से निपटने एक समनव्य समूह बनाया है। इस टीम पर चर्चा के लिए बीजापुर जिले में इस वर्ष मई और जून में वन विभाग के अधिकारियों ने कार्यशाला भी आयोजित की गई। इन अधिकारियों के बीच चर्चा के लिए एक वाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया

है।प्रदेश में वर्तमान में अचानकमार, उदंती सीतानदी और इंद्रावती तीन टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अभी पांच से छह है। अवैध शिकार को रोकने के लिए बनाई गई टीम प्लानिंग कर रही है। इसके तहत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में समय पर रिपोर्टिंग के साथ ही अधिकारियों के साथ संचार स्थापित करने के लिए नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।इसके साथ ही जोखिम कारकों की पहचान और राज्यों में होने वाले अपराधों को राज्यों के बीच आदान-प्रदान भी किया जाएगा। सीसीएफ आरसी दुग्गा ने कहा कि राज्यों के बीच बनी टीम में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राज्यों की टीम द्वारा मिलकर किए जा रहे प्रयास से काफी फायदा होगा। बाघों की सुरक्षा के लिए दो कार्यशालाएं भी आयोजित की जा चुकी है।

यह बन रही रणनीति

1. राज्य अपने-अपने क्षेत्र के टाइगर रिजर्व में रोजाना गश्त करेंगे
2. जहां जहां बाघ का आना जाना है,वहां कैमरे से बाघों को ट्रैप करेंगे
3. जंगली जानवर की लाश या टुकड़ा मिलता है तो पता लगाएंगे कि बाघ ने कब और कैसे शिकार किया
4. अपने इलाकों के बाघों के मल की डीएनए जांच देहरादुन में करवाएंगे।

आदिवासी कन्या छात्रावास में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का आयोजन

रायपुर। सांस्कृतिक विवेकानंद उत्कर्ष परिषद द्वारा 2 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का आयोजन किया गया। बुधवार को रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में आदिम जाति कल्याण विभाग के आदिवासी कन्या छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को बताया कि कैसे आप स्ट्रेस फ्री हो कर लाइफ को इंजॉय कर सकते है। एक माडल के माध्यम से बताया कि इमोटिव बिहेबियर थेरेपी से हम खुद को स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते है। हम चीजों

से नहीं परसेपसन से डिस्टर्व होते है। सायकोलॉजिस्ट दीप्ति दुबे, डॉ. नेक दत डेविड, प्रियंका सुषमा सभी मनोवैज्ञानिक ने छात्रों को चिन्तामुक्त जीवन जीने के विषय में विस्तार से समझाया एवं सवालों के जवाब भी दिए।

एक्टिवा से कर रहा था शराब तस्करी रेड कार्यवाही कर किया गिरफ्तार

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना आमानाका टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत से एक लाल रंग की एक्टीवा क्रमाक 7559 मे अवैध रूप से शराब का परिवाहन कर ले जाया जायेगा कि सुचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते पश्चिम रायपुर, नगर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा आजाद चौंक के निर्देशानुसार में थाना प्रभारी सुनील दास आमानाका को टीम गठित कर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने निर्देशन पर मुखबीर की सुचना मे बताये स्थान रोड पर जाकर रेड कार्यवाही कर घेराबंदी किया गया जिसमे एक्टीवा 7559 को पकडा गया एक्टिवा की तलाशी लेने पर डिक्की से 45 पौवा मसाला देशी मदिरा मात्रा 08 लीटर 100 मिली के साथ एक आरोपी को का पकडा गया उक्त आरोपीयो से जुमला किमती करीबन 39950/- रुपए/- रूपया का वाजाप्ता जप्त किया गया। 2 अक्टूबर शराब दुकान बंद होने पर उक्त शराब को बेचने की तैयारी थी। आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 350/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

मुख्य कार्यालयः द फेयरवे, तल एवं प्रथम मंजिल, सर्वे नं.10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला, इनर रिंगरोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघाट, बैंगलोर-560071.

सोने के आभूषण की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ऋण को चुकाने और कई अनुस्मारक के बावजूद निर्धारित समय के भीतर सोने के आभूषणों को भुनाने में विफल रहे हैं। नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं द्वारा उक्त ऋण खातों के तहत गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/आभूषण हमारे शाखा परिसर में सार्वजनिक/ऑन लाइन / निजी नीलामी के माध्यम से **25-10-2024 को सुबह 10.30 बजे** बेचे जाएंगे। भाग लेने के इच्छुक लोगों से शाखा से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। बैंक को बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो वही नियम और शर्तें बाद के दिनों में लागू होगी। यदि ग्राहक मृत हो जाता है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारी के लिए लागू होंगी। उधारकर्ता को नीलामी की तारीख से पहले की तारीख के ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, यह विफल होने पर गिरवी रखे सोने के गहने बेचे जाएंगे और यदि ब्याज और लागत के साथ कोई राशि बकाया होगी तो उसकी वसूली की जाएगी। किसी भी प्रश्न और नियम और शर्तों के लिए शाखा के पते पर संपर्क करें। विवरण के लिए www.janabank.com पर जाएं।

स. क्र.	ऋण खाता नं.	ऋणकर्ता का नाम / सह-ऋणकर्ता	गिरवी रखे हुए सोने के आभूषणों का सकल वजन
1	31388730025293	शाहजहां खान	9.24
		जना स्माल फायनेंस बैंक, प्रथम मंजिल, मलय हाईट्स, महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, आरबीआई के सामने, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़	
2	31398160004602	संजीव कुमार	48.76
		जना स्माल फायनेंस बैंक, तल मंजिल एवं प्रथम मंजिल, प्लाट नं.17, वार्ड नं.13 ट्रांसपोर्ट नगर मौजा का खसरा नंबर 188/1के, कोरबा-495677	
3	45088740001154	पी हेमावती राव	45.54
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, तल एवं प्रथम मंजिल, प्लाट नं.28, शिवनाथ कॉम्प्लेक्स, कांट्रेक्टर कॉलोनी, वार्ड नं. 06, जीई रोड, आरईसी दुर्ग-1, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़-490023	
4	32538730007369	नीलम	8.35
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, तल मंजिल, प्लाट नं. सी-50, दागिल कॉम्पलेक्स, देवेन्द्र नगर, श्री नानाक हॉस्पिटल के बाजू, उरला रोड, रायपुर-492003	
5	31398730026500	गंगोत्री विश्वकर्मा	4.99
6	31398160004973	दीन विनोद कुमार	9.86
7	31398160004921	मो. सिराज अनवर	9.04
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, गौरव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं.17, आईसीआईसीआई बैंक के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा-495677	
8	45088730019572	सानू चंद्राकार	29.77
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, तल मंजिल होटल वत्स इंटरनेशनल बिल्डिंग प्लाट नं.28, शिवनाथ कॉम्प्लेक्स, नगर निगम के पीछे, जीई रोड, सुपेला, छत्तीसगढ़-490023	
9	31388730027250	संध्या साहू	8.09
10	31388730026997	अनीता कुंडे	5.07
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, प्रथम मंजिल, मलय हाईट्स, महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, आरबीआई के सामने, रायपुर-492013, भारत	
11	31928730010411	रानी शुक्ला	10.8
12	31928730010322	रविशंकर यादव	14.02
13	31928730009742	रानी शुक्ला	13
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, प्रथम मंजिल, आर-स्केवर, आरके पेट्रोल पम्प के सामने, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर-495001	
14	45108740000776	अनीशा जमाल	19.43
		जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, तल मंजिल, कारमेल कांनवेंट स्कूल के सामने, जगतपुरा रोड, राजगढ़ छत्तीसगढ़-496001, भारत	

स्थानः छत्तीसगढ़
दिनांक : 04.10.2024

हस्ते/-अधिकृत अधिकारी
जना स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिन्दुजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — **डिमांड नोटिस**

कार्पोरेट कार्यालय: 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन, साईपेठ, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय- तीसरी मंजिल, एक्सिस बैंक के पास, पुजारी चेम्बर, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

सरफेसी अधिनियम 2002 की सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोहिम

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियन 3(1) उक्त नियम के सहपठित सेक्शन 13(2) ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) के तहत उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13(2) के तहत अधिकारियों के पालन में एचएचएफएल के प्रा.अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की थी जिसमें देनदारियों / गारंटरों को उक्त से संबंधित उन्हें जारी नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था, देनदारों व गारंटरों को पुन: देनदारों व गारंटरों को इस नोटिस तिथि से 60 दिनों से निम्न राशि चुकाने को कहा जाता है, देनदार व गारंटर, देय राशि व लोन राशि के भुगतान हेतु प्रस्तुत सिक्योरिटी राशि के विवरण निम्न है -

देनदार/गारंटर/सह देनदार का नाम	1. डिमांड नोटिस तिथी 2. लोन एकाउंट नंबर 3. नोटिस तिथी पर देय	सिक्योर्ड एसेट के विवरण (अचल संपत्ति)
श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर (उधार लेने वाला) श्री सत्यनारायण ठाकुर (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 20-07-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000001361 3. कुल देय राशि - रु. 30,59,418/- (रुपये तीस लाख उनसठ हजार चार सौ अठारह मात्र)	संपत्ति वाले प्लॉट/मकान मौजा का वह सभी हिस्सा और पार्सल - गोंदवारा, वार्ड नंबर - 18, बालगंगाधर तिलक वार्ड, जनता कॉलोनी, पी.एच. क्रमांक- 00037, खसरा का भाग। क्रमांक-658/9, आर.एन.एम. - रायपुर, तहसील एवं जिला। - रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत - 492001 कुल क्षेत्रफल - 1000 वर्ग। एमटीआर. सीमाएँ - पूर्व - कृष्ण कुमार देवांगन का घर, पश्चिम - श्री हरिकृष्ण सिंह जी का घर, उत्तर - सड़क, दक्षिण - यू.के. चटर्जी की संपत्ति
श्री बजरंग वैष्णव (उधारकर्ता) श्रीमती दीपिका वैष्णव (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 20-07-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000000999 3. कुल देय राशि - रु. 19,29,395/- (उन्नीस लाख उनतीस हजार तीन सौ पंचानवे रुपये मात्र)	संपत्ति वाले प्लॉट/मकान मौजा मठपुरेना, गोकुल नगर, वार्ड क्रमांक-52, चंद्र शेखर आजाद वार्ड, पी.एच. का वह सारा हिस्सा और पार्सल। क्रमांक-105/61, खसरा। क्रमांक- 421/86, आरएनएम-रायपुर-I, तहसील एवं जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत कुल क्षेत्रफल-500 वर्ग। एमटीआर. सीमाएँ - पूर्व - केदार धनगर का प्लॉट, पश्चिम - सड़क, उत्तर - विक्रेता का घर, दक्षिण - विक्रेता का घर
श्री राकेश तिवारी (उधारकर्ता) श्रीमती रवि तिवारी (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 25-07-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000001353 3. कुल देय राशि - रु. 6,21,484/- (छह लाख इक्कीस हजार चार सौ चौरासी रुपए मात्र)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल - प्लॉट/मकान मौजा - बेमेतरा, खसरा। क्रमांक-1149, नया खसरा क्रमांक- 1150/77, वार्ड क्रमांक- 19, राम मंदिर वार्ड, आर.एन.एम.- बेमेतरा, तहसील एवं जिला- बेमेतरा, छत्तीसगढ़, भारत-491335 कुल क्षेत्रफल - 555 वर्ग. एमटीआर. पंजीकृत ग्राम आबादी पट्टा के अनुसार सीमाएँ - पूर्व - कमला देवी, जगदीश, पश्चिम - प्लॉट नंबर 72, उत्तर - जगदीश, दक्षिण - गली पंजीकृत नज़रिया नक्शा के अनुसार सीमाएँ दिनांक: - 25.10.2023 - पूर्व - सड़क (गली), पश्चिम - पारस राम यदु का घर, उत्तर - गली, दक्षिण - कृष्णा पाठक का घर
श्री देवचरण साहू (उधारकर्ता) श्रीमती नीऊ साहू (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 25-07-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000000640 3. कुल देय राशि - रु. 14,65,374/- (चौदह लाख पैंसठ हजार तीन सौ चौहत्तर रुपये मात्र)	संपत्ति वाले प्लॉट/मकान का वह सभी हिस्सा और पार्सल, मौजा ग्राम - गुढ़ियारी, शिवानंद नगर, वेके नेता जी कन्हैया लाल बजारी वार्ड, वार्ड नं.- 8, पी.एच.नं.-107, खसरा का हिस्सा। क्रमांक- 173/5, आर.एन.एम.-रायपुर-1, तहसील जिला के रूप में -रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत - 492001 कुल क्षेत्रफल - 756 वर्ग मीटर। पंजीकृत ग्राम आबादी पट्टा के अनुसार सीमाएँ - पूर्व - सोनी की भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - घनश्याम वर्मा की भूमि, दक्षिण - सड़क
श्रीमती सीमा कोसरे (उधारकर्ता) मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को श्री राम दयाल कोसरे (सह उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 25-07-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000001382 3. कुल देय राशि - रु. 27,61,330/- (सत्ताईस लाख इकसठ हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र)	संपत्ति वाले प्लॉट/घर/अपार्टमेंट का सारा हिस्सा और पार्सल - शांति एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, बी-302, तीसरी मंजिल, सुपर बिल्ड-अप एरिया 815, मौजा रायपुरा, वार्ड नंबर - 68, माधव राव सप्रे वार्ड, पी.एच.नं.-104/57, खसरा नं.- 678/3, 678/4, 680/2, आरएनएम-रायपुर, तह और जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत - 492001 कुल क्षेत्रफल - 815 वर्ग मीटर पंजीकृत ग्राम आबादी पट्टा के अनुसार सीमाएँ - पूर्वी कल्चुरी भवन, पश्चिम - मार्ग और सीढ़ियाँ, उत्तर - ब्लॉक नंबर ए, दक्षिण - फ्लैट नंबर 303
श्री आकाश जगताप (उधारकर्ता) श्रीमती खुशबू जगताप (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 21-09-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000001106 3. कुल देय राशि - रु. 14,03,458/- (चौदह लाख तीन हजार चार सौ अट्ठावन रुपये मात्र)	मौजा- ग्राम लोहारसी पी.एच नंबर 29 आर.एन.एम भोथली प्लॉट नंबर 116 खसरा नंबर 493 तहसील लिंस जिला धमतरी (सी.जी.) कुल क्षेत्रफल - 2084 वर्गफुट. या 193.71 वर्ग. मीटर विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएँ - पूर्व: बंशी की भूमि, पश्चिम: सड़क और रोशन की भूमि, उत्तर: श्याम की भूमि, दक्षिण: रमेश राव की भूमि
श्री जयंत घोष (उधारकर्ता) श्रीमती मुक्ता घोष (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 23-09-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000001470 3. कुल देय राशि - रु. 21,04,921/- (इक्कीस लाख चार हजार नौ इक्कीस रुपये मात्र)	संपत्ति वाले प्लॉट/मकान मौजा - मठपुरेना, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड नंबर-52, पी.एच.एन.-105/47, खसरा का वह सारा हिस्सा और पार्सल। क्रमांक-70/17, आर.एन.एम.-रायपुर-1, तहसील लिंस जिला। -रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत - 492001 कुल क्षेत्रफल - 2031.9 वर्गफुट। विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएं - पूर्व - सड़क, पश्चिम - जीवन सोनकर की भूमि, उत्तर - अकिला बानो की भूमि, दक्षिण - अमित सिंह की भूमि
श्री कदम माझी (उधारकर्ता) श्रीमती टोकेश्वरी माझी (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 13-09-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000000756 3. कुल देय राशि - रु. 10,42,285/- (दस लाख बयालीस हजार दो सौ पचासी मात्र)	ग्राम - कोसममुड़ा पी.एच.एन.-07 ख.न.-88/01 ए पार्ट आर.एन.एम.-छुरा जिला गरियाबंद, गोबरानवापारा, छत्तीसगढ़, भारत - 493996 माप क्षेत्रफल 2152 वर्ग फीट विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएं - पूर्व - विक्रेता शेष भूमि, पश्चिम - पक्की रोड, उत्तर - विक्रेता शेष, भूमि - दक्षिण सरकारी भूमि
श्री परेश लाठिया (उधारकर्ता) श्रीमती सोनी महानद (सह-उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 13-09-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000000756 3. कुल देय राशि - रु. 10,42,285/- (दस लाख बयालीस हजार दो सौ पचासी मात्र)	खसरा नंबर 130/180, मौजा कोटा-03, पी. एच. नंबर 51, आर.आई.सी. रायपुर-3-कोटा, तहसील 85 जिला रायपुर छत्तीसगढ़, भारत - 492001 माप क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएँ - पूर्व - सड़क, पश्चिम - तिवारी जी की भूमि, उत्तर - चूड़ामणि की भूमि, दक्षिण - विक्रेता की भूमि
श्री यादराम यादव (उधारकर्ता) श्रीमती नीता यादव (सह उधारकर्ता)	1. जारी करने की तारीख - 27-09-2024 2. CT/CTG/RAPR/A000000786 3. कुल देय राशि - रु.15,89,340/- (पंद्रह लाख उनासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र)	ग्राम बिजली पी एच नं 17 आर.एन.एम राजिम तहसील राजिम जिला गरियाबंद जिसका खसरा नं 442 का भाग है, जिला गरियाबंद (छ.ग.) कुल क्षेत्रफल - 2700 वर्ग फीट बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं - पूर्व - गली, पश्चिम - गौतम निषाद का मकान, उत्तर - गणेश राम यादव का मकान, दक्षिण - रमेश राव की जमीन

यदि उक्त देनदार / गारंटर उक्त भुगतान एचएचएफएल को नहीं करते हैं, एचएचएफएल उक्त एक्ट की सेक्शन 13(4) व लागू नियमों के तहत पूरी तरह से देनदार / गारंटर के जोखिम, लागत व परिणामों के तहत सिक्योर्ड एसेट के खिलाफ कार्यवाही कर सकते है, विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी संबंधित शाखा कार्यालय- तीसरी मंजिल, एक्सिस बैंक के पास, पुजारी चेंबर, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 एवं मोबाईल नं. Vaibhav Shrivastava - 7987969803, Rajesh Chaokitya - 8435571111, Shivendra Mishra - 8839287191, Sameer Singh - 9584290575

स्थान- रायपुर, दिनांक- 04/10/2024

प्राधिकृत अधिकारी, हिन्दूजा हाऊसिंग, फायनेंस लिमिटेड